न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 243/2023
अनवान : –

1. शिशपाल पुत्र कुरड़ा उर्फ रघुवीर जाति खाती निवासी बडबिराना तहसील नोहर

– सायल

बनाम्

1. कुरड़ा उर्फ रघुवीर पुत्र हरचन्द जाति खाती निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. जयप्रकाश पुत्र कुरड़ा उर्फ रघुवीर जाति खाती निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. मैना पुत्री कुरड़ा उर्फ रघुवीर जाति खाती निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
6. बाबुलाल पुत्र पुर्णाराम जाति महाजन साकिन बडबिराना तहसील नोहर।

– गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता **सायलान**
2. श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 12/08/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 6/6 की 1.8975 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 6 आरएमजी तहसील नोहर खाता स0 87/86 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि स्थित है जो की सायल के दादा हरचन्द पुत्र जीवन के नाम दर्ज थी। हरचन्द के देहान्त के बाद वाद भूमि उनके पुत्रगणों के नाम दर्ज हुई तथा उनके पुत्रगणों ने वाद भूमि का खाता व लगान अलग करवा लिया है। गैरसायल स0 1 के हिस्से में रोही मौजा चक 6 आरएमजी तहसील नोहर 6/6 की कुल 1.8975 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता स0 87/86 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 1/14 हिस्सा भूमि आई। उक्त भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर हिन्दु कर्ता खानदान दर्ज है। उक्त दोनों खातों की भूमि में गैरसायल स0 2 ता 3 का गैरसायल स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। उक्त भूमि गैरसायल स0 1 अकेले के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायल स0 1 उक्त भूमि को रहन, बैय करना चाहता है जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रोही मौजा चक आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 6/6 की कुल 1.8975 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 6 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 87/86 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुंतकिल न करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.22 17:22:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 6 आरएमजी में हमारे पिता के नाम दर्ज भूमि 1.8975 हैक्ट भूमि में से 1.012 हैक्ट भूमि माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश स0 2 के आदेशानुसार पंजीयन केता बाबुराम के पक्ष में करवाया जा चुका है अप्रार्थी स0 6 ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 6/6 की कुल 1.8975 हैक्ट भूमि में से 1.012 हैक्ट भूमि का विक्रय पत्र मुझ प्रार्थी के पक्ष मे हुआ था उक्त विक्रय पत्र की आपत्ति अपर न्यायाधिश संख्या 2 प्रकरण संख्या 31/2024 अनवान शिशपाल बनाम बाबुराम पेश किया गया जिसे दिनांक 13.07.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। अतः जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता स0 6/6 की कुल 1.8975 हैक्ट भूमि में से दिनांक 03.07.2024 के विक्रय पत्र में दर्ज भूमि 1.012 हैक्ट की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 6/6 की 1.8975 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 6 आरएमजी तहसील नोहर खाता स0 87/86 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि स्थित है जो की सायल के दादा हरचन्द पुत्र जीवन के नाम दर्ज थी। हरचन्द के देहान्त के बाद वाद भूमि उनके पुत्रगणों के नाम दर्ज हुई तथा उनके पुत्रगणों ने वाद भूमि का खाता व लगान अलग करवा लिया है। गैरसायल स0 1 के हिस्से में रोही मौजा चक 6 आरएमजी तहसील नोहर 6/6 की कुल 1.8975 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता स0 87/86 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 1/14 हिस्सा भूमि आई। उक्त भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर हिन्दु कर्ता खानदान दर्ज है। उक्त दोनों खातों की भूमि में गैरसायल स0 2 ता 3 का गैरसायल स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। उक्त भूमि गैरसायल स0 1 अकेले के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायल स0 1 उक्त भूमि को रहन, बैय करना चाहता है जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की रोही मौजा 6 आरएमजी में हमारे पिता के नाम दर्ज भूमि 1.8975 हैक्ट भूमि में से 1.012 हैक्ट भूमि माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश स0 2 के आदेशानुसार पंजीयन केता बाबुराम के पक्ष में करवाया जा चुका है अप्रार्थी स0 6 ने बहस में निवेदन किया की रोही मौजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 6/6 की कुल 1.8975 हैक्ट भूमि में से 1.012 हैक्ट भूमि का विक्रय पत्र मुझ प्रार्थी के पक्ष मे हुआ था उक्त विक्रय पत्र की आपत्ति अपर न्यायाधिश संख्या 2 प्रकरण संख्या 31/2024 अनवान शिशपाल बनाम बाबुराम पेश किया गया जिसे दिनांक 13.07.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। अतः जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता स0 6/6 की कुल 1.8975 हैक्ट भूमि में से दिनांक 03.07.2024 के विक्रय पत्र में दर्ज भूमि 1.012 हैक्ट की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.22 17:22:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्मजात हक हिस्सा है लेकिन अप्रार्थी स0 6 का कथन है कि रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता स0 6/6 की कुल 1.8975 हैक्ट भूमि में से 1.012 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 6 की जरिये बैयनामा खरीद की गई है। मूल वाद में अप्रार्थीगण द्वार सहमति पेश की गई है कि उक्त खाता में शेष 0.8855 हैक्ट भूमि वादी शिशपाल को 0.4743 हैक्ट भूमि व शेष 0.4112 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा की चित्रप्रति के मुताबिक रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता स0 6/6 की कुल 1.8975 हैक्ट भूमि मसे 1.012 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 6 की खरीद की गई है अप्रार्थी स0 6 के पक्ष में निष्पादित बैयनामा आदिनांक तक वैध है उक्त बैयनामा के खंडन मे अधिवक्ता वादी ने कोई दस्तावेज पेश नही किये है उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थीगण को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 27.09.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12/08/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava IST
Date: 2025.08.22 17:22:54 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर